

# गर्भवती महिला की हत्या का पर्दाफाश, पति और प्रेमिका गिरफ्तार

पुलिस ने घटना स्थल का मोबाइल फोरेंसिक यूनिट से निरीक्षण करवाया था

अजमेर, (कासं)। अजमेर जिले के मांगलियावास थाना क्षेत्र के डोडियाना गांव में गर्भवती विवाहिता की हत्या के मामले का पुलिस ने 24 घंटे अंदर पर्दाफाश कर दिया। प्यार में बाधक बनी पत्नी को पति ने प्रेमिका के साथ मिलकर मारने की प्लानिंग बनाई और फिर पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने पति और प्रेमिका को गिरफ्तार कर लिया है।

मांगलियावास थाना प्रभारी एसआई रामस्वरूप ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि डोडियाना में रहने वाली गर्भवती शोभादेवी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। मौके पर जाकर देखा तो उसके मुंह से खून निकल रहा था और जीभ बाहर निकली हुई थी। गले पर भी निशान थे। एसआई रामस्वरूप ने बताया कि डोडियाना में 14 अप्रैल एक गर्भवती महिला शोभा की हत्या हो गई है। पुलिस ने गुरुवार को आरोपी भजन गायक शिवजी और उसकी प्रेमिका रेखा को गिरफ्तार कर लिया।



पत्नी की हत्या के मामले में पति और प्रेमिका को गिरफ्तार किया।

पुलिस पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह और रेखा 5 साल से रिलेशनशिप में थे। दोनों शादी करना चाहते थे। इसलिए पत्नी को रास्ते से हटाने के लिए प्लानिंग की थी। हत्या

के बाद प्रेमिका को कॉल कर कहा कि हमारी योजना के अनुसार पत्नी को मार दिया है। आरोपी ने अपने ससुराल वालों और परिवार को गुमराह करने के लिए कभी हार्टअटक और कभी

सुसाइड करने की बात कही। पुलिस को भी बार-बार गुमराह करता रहा। जब सख्ती से पूछताछ की तो प्रेमिका के साथ वारदात करना कबूला। मृतक शोभा देवी के परिजन ने

■ महिला के पति ने प्रेमिका के साथ मिलकर बनाई थी योजना

हत्या का आरोप लगाते हुए पिता अमराराम ने 15 अप्रैल को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में उन्होंने शक जाहिर किया कि दामाद का रेखा नाम की महिला से प्रेम प्रसंग है। पुलिस ने घटना स्थल का मोबाइल फोरेंसिक यूनिट से निरीक्षण करवाया था। उसके बाद जेएलएनएच अजमेर से मेडिकल बोर्ड से पोस्टमॉर्टम करवाया था। आरोपी पति 13 अप्रैल की शाम को अपने परिवार वालों को भजन संख्या में केसरपुरा जाने की बात कहकर निकल गया। उसी रात एक बजे के करीब अपने घर आया और छत पर सो रही पत्नी को जगाकर बातचीत की। इस बीच कपड़े के गमछे से गला घोटकर हत्या कर दी, जबकि पत्नी गर्भवती थी।

## 11 डंपरों को जब्त कर 15 लाख रुपए का जुर्माना वसूला

खेतड़ी, (निसं)। खेतड़ीनगर में पुलिस थाने के सामने परिवहन विभाग की टीम ने कार्रवाई करते हुए गुरुवार को 11 वाहनों पर कार्रवाई की है। इस दौरान 5 ओवरलोड डंपरों को जब्त किया है। इस दौरान 15 लाख रुपए का जुर्माना भी वसूल किया गया है।

परिवहन निरीक्षक रमेश कुमार यादव ने बताया कि प्रदेश सरकार के निर्देश पर ओवरलोड वाहनों के खिलाफ कार्रवाई करने को लेकर पुलिस, परिवहन व खनिज विभाग की ओर से विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत परिवहन विभाग की ओर से अलग-अलग टीमें लगाकर ओवरलोड वाहनों पर कार्रवाई की जा रही है। परिवहन विभाग की टीम ने सिंघाना से खेतड़ी जाने वाले स्टेट हाइवे पर नाकाबंदी कर वाहनों की जांच की गई। इस दौरान खेतड़ी के खनन क्षेत्र से ओवरलोड पत्थर व डस्ट लेकर आ रहे पांच ओवरलोड डंपर वाहन जब्त किए गए। इसके अलावा बिना फिटनेस, वाहन टैक्स चोरी के मामले में 11 वाहनों पर कार्रवाई की गई है। उन्होंने



ओवरलोड वाहनों के खिलाफ परिवहन विभाग ने कार्रवाई की।

बताया कि खेतड़ी का खनन क्षेत्र होने के कारण यहां ओवरलोडिंग वाहनों का आवागमन सबसे अधिक होता है, जिसको लेकर विभाग की अलग-अलग टीम बनाकर अलग-अलग क्षेत्र में कार्रवाई की जा रही है। इससे पहले भी परिवहन विभाग की ओर से कार्रवाई करते हुए ओवरलोड डंपरों पर कार्रवाई को अंजाम दिया गया। जिस पर विभाग की ओर से जुर्माना वसूल किया गया था। इस कार्रवाई से विभाग को 15 लाख रुपए का राजस्व वसूल किया जाएगा। उन्होंने

बताया कि क्षेत्र में ओवरलोड डंपरों का संचालन अधिक होने के चलते आम जन को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, जिसको लेकर पूर्व में भी ग्रामीणों कीओर से भी समस्या को लेकर अवगत करवाया गया था। इस संबंध में अभियान में और तेजी लाकर प्रभावी कार्रवाई कर ओवरलोडिंग पर अंकुश लगाया जाएगा। इस दौरान पुलिस व परिवहन विभाग की ओर से जब्त किए गए वाहनों को खेतड़ी नगर थाने में खड़ा करवाया।

### ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया

भीलवाड़ा, (निसं)। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 101 के तहत प्रस्तावित पंचायत पुनर्गठन में ग्राम लांगरो का खेड़ा उर्फ अश्यापुर को नीम ग्राम पंचायत में शामिल करने का विरोध ग्रामीणों ने किया है। उन्होंने जिला कलेक्टर को जापन सौंपकर मांग की है कि गांव को पूर्ववत धुंवाला ग्राम पंचायत में ही रखा जाए।

ग्रामीणों का कहना है कि लांगरो का खेड़ा शुरू से धुंवाला पंचायत का हिस्सा रहा है, जबकि नीम पंचायत गांव से 9-10 किलोमीटर दूर है। वहां तक कोई सीधी सड़क या आवागमन की सुविधा नहीं है, जिससे आमजन, विशेषकर महिलाएं, बुजुर्ग और छात्र-छात्राओं को परेशानी होगी। गांव की अधिकांश कृषि और आवासीय भूमि, रमशान घाट, चरागाह भूमि तथा सामाजिक जुड़ाव धुंवाला पंचायत से है। नीम पंचायत में शामिल करने से भविष्य में पशुपालन, नरेगा कार्य और अन्य सुविधाओं में बाधा आ सकती है। ग्रामीणों ने आग्रह किया है कि प्रस्तावित पुनर्गठन को रद्द करते हुए ग्राम लांगरो का खेड़ा को पूर्ववत धुंवाला ग्राम पंचायत में ही शामिल रखा जाए।

## 22 मवेशियों की मौत, पशुपालक को लाखों का नुकसान

खेतड़ी, (निसं)। खेतड़ी उपखंड के जसरपुर में रूंज के पेड़ की फली खाने से 22 मवेशियों की मौत हो गई। घटना के बाद पशुपालकों को लाखों रूपए का नुकसान हो गया।

जानकारी के अनुसार जसरपुर से नंगली सलेदीसंह जाने वाली सड़क के किनारे महावीर सिंह शेखावत के खेत में रूंज का पेड़ लगा हुआ है। भेड़ बकरी पालक रामजीलाल और जयनारायण जसरपुर के डोबड़ा की ढाणी ने बताया कि वे अपनी भेड़ बकरियों को चराने के लिए ले जा रहे थे। इस दौरान रूंज के पेड़ की सूखी फली खाने के बाद भेड़-बकरियां बीमार हो गईं और थोड़ी-थोड़ी दूरी पर जमीन पर गिरने लगीं। इसके बाद



पशु चिकित्सक टीम ने मौके पर पहुंचकर भेड़ बकरियों का इलाज किया।

एक के बाद एक 20 भेड़ तथा दो बकरियों की मौत हो गई। मवेशियों की अचानक मौत हो जाने से पशु पालक सकते में आ

गए तथा आसपास के ग्रामीणों को मौके पर बुलाकर जानकारी दी गई। इसके बाद पशु चिकित्सक डॉ. योगेश आर्य और

उनकी टीम ने मौके पर पहुंचकर भेड़ बकरियों का इलाज शुरू किया, लेकिन 20 भेड़ों और 2 बकरियों की मौत हो गई। गंभीर रूप से बीमार 8 भेड़ों को ग्लूकोज और दवाइयां दी गईं, जिससे उनकी हालत में अब सुधार हो रहा है। भेड़ बकरी पालक ने बताया कि भेड़ बकरियों का पंजीकरण तो करा रखा है, लेकिन पशु बीमा की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई। इस घटना से करीब चार लाख रुपए का नुकसान हुआ है। इस दौरान मौके पर पहुंचे उमदे सिंह, भैरसिंह, राजपाल सिंह, काशीराम, गोपीराम, वीर सिंह, बिजेश कुमार, विक्रम, रवि, गुरप्रीत, अंकित ने प्रशासन से पीडित की आर्थिक स्थिति को देखते हुए मुआवजा देने की मांग की है।

## नर्मदा की मुख्य पाइप लाइन से अवैध जल कनेक्शन पकड़ा

सायला, (निसं)। सायला उपखण्ड क्षेत्र के रेवतड़ा गांव स्थित हिरानी रिसोर्ट में नर्मदा की मुख्य पाइप लाइन पर अवैध जल कनेक्शन पाये जाने पर प्रशासन द्वारा अवैध कनेक्शन काटकर करीब 23 लाख रुपये शांति प्रत्यारोपित कर अवैध कनेक्शनकर्ता के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई। जानकारी के अनुसार उपखण्ड अधिकारी सूरजभान बिश्नोई, तहसीलदार लक्ष्मी चौधरी, सहायक अभियन्ता रूपेन्द्रसिंह एवं कनिष्ठ अभियन्ता कौशल कुमार के द्वारा पुलिस जाबो की उपस्थिति में वीराना-रेवतड़ा मार्ग पर स्थित हिरानी रिसोर्ट में अवैध जल कनेक्शन की जांच करने पर रेवतड़ा से वीराना जाने वाली नर्मदा की मुख्य पाइप लाइन साइड 150 एएमएम डीआई पर 40 एएमएम साइड का अवैध कनेक्शन पाया गया। मौके पर इस अवैध कनेक्शन के पानी से टैंकर भरकर बेचना, निर्विमिंग पूल, फार्म हाउस एवं खेतों के कार्यों में डीजल जनरेटर सेट से उपयोग करना पाया गया, जिस पर



रेवतड़ा में नर्मदा की मुख्य पाइप लाइन से अवैध कनेक्शन को प्रशासन की टीम ने काट दिया।

इस अवैध कनेक्शन को काटकर मौके से अवैध कनेक्शन में प्रयुक्त वाटर टैंकर क्षमता लगभग 450 लीटर तथा डीजल जनरेटर सेट जब्त करते हुए पानी चोरी की शांति 23,63,386 रुपये प्रत्यारोपित की गई। साथ ही अवैध

कनेक्शनकर्ता शैलेश पुत्र सालगराम उर्फ हपजी राजपुरोहित एवं कैलाश कुमार पुत्र सालगराम उर्फ हपजी राजपुरोहित निवासी रेवतड़ा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने की कार्रवाई की गई।

## पुष्कर के सावित्री मंदिर पर लगे रोप-वे में फंसे तीन श्रद्धालु, सुरक्षा कर्मियों ने बचाया

पुष्कर, (निसं)। सिविल डिफेंस टीम, एनडीआरएफ एवं एसडीआरएफ टीम ने संयुक्त रूप से पुष्कर के सावित्री माता रोप-वे पर अचानक फंसे तीन श्रद्धालुओं (रोप-वे कार्मिकों) को रेस्क्यू ऑपरेशन चला कर सुरक्षित नीचे उतारने का पूर्वाभ्यास किया।

इस मौके पर पुष्कर एसडीओ गौरव कुमार मित्तल समेत सभी विभागों के अधिकारी व कार्मिक मौजूद थे। बीते छह महीने के अंतराल में रोप-वे पर तीसरी बार मॉकड्रिल की गई। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सिविल डिफेंस टीम के सदस्यों ने संसाधन के साथ सावित्री माता पहाड़ी की तलहटी पर पहुंचे तथा निर्धारित पॉइंट पर अपना सेटअप बिछाया। सुबह 10 बजे एसडीओ गौरव मित्तल के निर्देशन में जवानों ने रोप-वे की। बीच रास्ते में अचक्री केबिन में फंसे श्रद्धालुओं के रूप में सवार तीन रोप-



सुरक्षार्कर्मियों ने केबिन में फंसे हुए यात्रियों को निकाला।

वे कार्मिकों को बचाने का पूर्वाभ्यास शुरू किया। इसके लिए पहले रोप-वे के नीचे जाल बिछाया गया तथा दो जवान बारी बारी से रस्सों की सहायता से रोप-वे की केबिन में पहुंचे और वहां फंसे

## उधार में खाना नहीं देने पर होटल कर्मचारियों से मारपीट

बदमाशों ने कर्मचारियों के सिर फोड़ दिए, होटल में जमकर तोड़फोड़ मचाई

सिंघाना, (निसं)। कस्बे में एक बार फिर बदमाशों का खौफ देखने को मिला है। एक होटल के कर्मचारियों द्वारा बदमाशों को खाना ना देने पर बदमाशों ने ना केवल कर्मचारियों के सिर फोड़ दिए, बल्कि होटल में जमकर तोड़फोड़ मचाई। घटना की एफआईआर दर्ज करवाई तो भी बदमाश लगातार धमकी देकर जान से मारने की बात कह रहे हैं। दहशत में आए होटल मालिक ने अपना होटल बंद कर दिया है।

जानकारी के मुताबिक मिश्रवाली ढाणी निवासी मुकेश सैनी ने बुहाना बस स्टैंड पर एक होटल कर रखा है। 14 अप्रैल को दिन के समय कुछ युवक आए। जिन्होंने खाना पैक करने की बात कही। पैसे की बात आई तो युवकों ने किसी अन्य युवक से फोन पर बात कराई। फोन पर जिस युवक की बात कराई। उसने अपना नाम सचिन उर्फ छोटू गुर्जर बताया। उसने कहा कि इन लड़कों को खाना पैक करके दे दो। होटल के कर्मचारी ने छोटू गुर्जर का पहले ले भी पैसे बकाया होने की बात कही और खाने

■ मारपीट और तोड़फोड़ की घटना सीसीटीवी में कैद

के लिए मना कर दिया। तो तैश में आए युवक चले गए और दुबारा आने की बात कही। रात को करीब 10 बजे सचिन उर्फ छोटू गुर्जर निवासी जैसाराम की ढाणी भोदन तथा अर्जुन उर्फ मोरिया नायक निवासी सिंघाना अपने साथियों के साथ आए और आते ही होटल के कर्मचारी कृष्ण सैनी व शेरसिंह सैनी पर लाठियों से हमला बोल दिया। ताबड़तोड़ वार करने के अलावा आरोपियों ने होटल में भी तोड़फोड़ मचाई। इसके बाद वे चले गए। कृष्ण सैनी और शेरसिंह सैनी को मौके पर पहुंचे होटल मालिक मुकेश के भाई मंगेजाराम ने अस्पताल पहुंचाया। मारपीट और तोड़फोड़ की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। घटना के दौरान होटल मालिक जयपुर किसी काम से गया हुआ था। इसलिए मुकेश के भाई मंगेजाराम ने 15 अप्रैल को

सिंघाना थाने में छोटू गुर्जर मोरिया व उसके अन्य साथियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी। इसकी जानकारी जब बदमाशों को लगी तो वे मुकेश को धमकी देने लगे। राजेश फाटन नाम के बदमाश ने मुकेश को फोन पर धमकी देकर कहा कि उसे यदि सिंघाना में होटल चलाना है। तो मंथली देनी होगी। वरना ताला लगा दे। यही नहीं उसने मुकेश एक अन्य होटल तथा उसके भाई की बाइक रिपेयरिंग के दुकान को आग लगाने की धमकी दी है। साथ ही घर के कुत्ते तक को मारने की धमकी दी है। एक तरफ मुकेश को लगातार बदमाश बेखौफ होकर जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। मंथली मांग रहे हैं। एफआईआर वापिस लेने की बात कह रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। जिससे नाराज व्यापारियों ने बैठक गुरुवार शाम को हुई। एसएचओ को मौके पर बुलाकर उन्हें ज्ञापन देकर दो दिन का समय दिया है। यदि दो दिन में कार्रवाई नहीं होती है तो सिंघाना बंद की चेतावनी दी है।

### विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी

भीलवाड़ा, (निसं)। विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर पोलोभीत (उत्तर प्रदेश) के एक मौलाना शाकिर रजा के माध्यम से 40 परिवारों से धोखाधड़ी का मामला सामने आया है।

धोखाधड़ी का आरोपी युवक मोहनूदीन छीपा जुनावास भीलवाड़ा का रहने वाला है, जिसकी तलाश में अब यह परिवार भीलवाड़ा में भटक रहे हैं। ठगी का शिकार हुए मौलाना विदेश में नौकरी दिलाने के बहाने पैसे एंटेन वाले युवक की तलाश में तीन दिन से दर-दर भटक रहे हैं।

पीडित मौलाना ने अपनी पीड़ा बताई कि कैसे उसके साथ ठगी की वारदात हुई और किस तरह उसके माध्यम से दूसरे लोगों को भी बदमाश आरोपी मोहनूदीन उर्फ इलियास ने अपना शिकार बनाया। मौलाना शाकिर ने बताया कि वर्ष 2024 में मोहनूदीन उर्फ छिपा निवासी भीलवाड़ा ने उससे संपर्क किया। उसे बड़े ख़ाब दिखाए, जिसमें एक साल में करोड़पति बनने का सपना दिखाया। कोम की तरक्की के लिए युवाओं को विदेश में नौकरी दिलाने का बात कही।

## अजमेर दरगाह मंदिर विवाद : अंजुमन की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई

केंद्र के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने अंजुमन की याचिका पर आपत्ति जताई

■ दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अगली सुनवाई एक सप्ताह बाद तय की

कोर्ट ने अब सुनवाई के लिए एक सप्ताह का समय दिया है। हाईकोर्ट की एकल पीठ में याचिका पर अंजुमन के अधिवक्ता आशीष कुमार सिंह और वागीश कुमार सिंह ने दलील दी कि सुप्रिम कोर्ट ने प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं

पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिए हैं कि देशभर की किसी भी अदालत में ऐसे मामलों की सुनवाई पर फिलहाल रोक रहेगी।

इसके बावजूद अजमेर की सिविल कोर्ट में इस तरह की सुनवाई हो रही है, जो सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का सीधा उल्लंघन है। दूसरी ओर केंद्र सरकार

की ओर से पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल आरडी रस्तोगी ने अंजुमन की याचिका पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि अंजुमन उस सिविल केस में पक्षकार नहीं है, इसलिए उसे हाईकोर्ट में सुनवाई पर रोक लगाने का अधिकार नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि यह याचिका प्रारंभिक तौर पर सुनवाई योग्य नहीं है। हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आली सुनवाई एक सप्ताह बाद तय की है।

■ 70 जवानों ने रेस्क्यू करके सुरक्षित उतारा, प्रशासन ने मॉक ड्रिल की

प्रशांत झा,ए नडीआरएफ के प्रभारी योगेश मीणा, एसडीआरएफ के इंचार्ज बगी मीणा, पुष्कर थाने से एस आई छीतरमल, सिविल डिफेंस टीम पुष्कर के प्रभारी किशन गोपाल जाट, सलमान खान, राधेश्याम माली, अमरचंद सांखला, अग्रिशमन के सुरेंद्र कुमार मीणा समेत दमकल, चिकित्सा सहित संबंधित विभागों के अधिकारी/ प्रतिनिधि मौजूद रहे।यह मॉकड्रिल समय समय पर राज्य सरकार के आदेशानुसार सुरक्षा जांचने एवं आपदा के समय आने वाली कठिनाइयों से निपटने के लिए पूर्व अभ्यास किया जाता है। मॉकड्रिल के कारण पुष्कर की सुबह 08:30 बजे बाद रोप-वे का संचालन बंद कर दिया और मॉकड्रिल अभ्यास के बाद वापिस संचारू रूप से शुरू कर दिया गया।